


# असाधारण EXTRAORDINARY

भाग П--खण्ड 3--उप-खण्ड (i) PART II--Section 3---Sub-section (i)





सं. 324 ] No. 324} नई दिल्ली, मंगलबार, अक्तूबर 8, 1996/आश्विन 16, 1918 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 8, 1996/ASVINA 16, 1918

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1996

सा.का.नि. 459( अ ). — केन्द्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 22 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केबल टेलिविजन नेटवर्क नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केबल टेलीविजन मेटवर्क (संशोधन) नियम, 1996 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. (क) केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के मियम 3 में, ठप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे आएंगे, अर्थात् :—
  - (3) (क) रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित होगा, --
    - (i) केवल पांच सौ रुपए की फीस; और
    - (ii) प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजें ।
    - (ख) रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी किए जाने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित होगा,—
      - (i) केवल दो सौ पचास रुपए की फीस ; और
      - (ii) प्ररूप 1 में डिल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजें ।
  - (4) फीस की रकम उस प्रधान डाकबर में जमा की आएगी जहां रिजस्ट्रीकरण या रिजस्ट्रीकरण के नवीकरण या रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी किए जाने के लिए आवेदन किया जा रहा है।
  - (5) फीस की रकम अवर्गीकृत प्राप्तियां (यू.सी.आर.) शीर्ष के अंतर्गत अमा की जाएगी :--

2461 GI/96

हां/नहीं

- (ख) उस्त नियमों के नियम 5 को उपनियम (1) के रूप में पुनः शंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्निलिखत उप-नियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
- ''(2) प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी किए जाने के नियम 3 के उपनियम (3) के खंड (ख) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी नियम 3 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए आवेदन की जांच करेगा और प्ररूप 3क में रज़िस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा'' ;
  - (ग) उक्त नियमों के प्ररूप 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

#### ''प्ररूप 1''

# [ नियम 3( 1 ) देखिए ] दो. प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है

केबल आपरेटर की हैसियत से \*रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण/रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी किए जाने के लिए आवेदन काप्ररूप।

सेवा में. प्रधान डाकपाल, प्रधान डाकघर केबल आपरेटर की हैसियत से "रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण/रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी किए आने के लिए आवेदन। 1. (क) आवेदक का नाम (व्यष्टि/फर्म/कंपनी/व्यष्टियों का संगम/व्यक्तियों का निकाय)\* (ख) आयु/स्थापन की तारीख/निगमन की तारीख। 2. (क) पता (कार्यालय) (ख) टेलीफोन नम्बर (यदि कोई है) 3. (क) राष्ट्रिकता (व्यष्टि आवेदक/व्यष्टियों के निकाय के मामले में) (ख) जन्म/अधिमास के आधार पर (ख) प्रधान डाकघर का नाम ..... (चालान जिसके द्वारा फीस जमा की गई है, की प्रति संलग्न करें ) 5. वह क्षेत्र जहां केबल टेलीविजन नेटवर्क कार्य कर रहा है/स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ...... वह तारीख जिससे केबल टेलीविजन नेटवर्क प्रचालन में है/स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ······ 7. दिए गए/दिए जाने के लिए प्रस्तावित चैनलों की संख्या (नाम सहित) ..... (क) क्या टेलीविजन रिसीब ओनली (टी.बी.आर.ओ.) का उपयोग हो रहा है हां/नहीं (ख) यदि हां, तो टी.बी.आर.ओ. की संख्या और आकार ..... (ग) अवस्थान 9. केबल सेवा में सम्मिलित दूरदर्शन उपग्रह चैनलों के नाम ..... 10. पूर्वतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न है हां/नहीं (केबल रजिस्ट्रीकरण के नत्रीकरण के लिए भरा जाए) 11. (क) रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी किए जाने के लिए कारण बताएं .......... (विकृत या विरूपित मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति/मूल प्रमाणप्रत्र की चोरी या गुम हो जाने के मामले में पुलिस में की गई रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें) (ख) मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति इंप्सित है ...... [केवल रिज़स्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के मामले में भरा जाए]

12. प्ररूप 2 में घोषणा संलग्न है

(केवल रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण के मामले भें भरा जाए)

[ भा	ıΠ	П-	र	g vi	3	(i)
	_=				_	
TT.						

[भाग 🏻 —	खण्ह 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	3
हम ······ प्रकार से स		*व्यष्टि/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संगम/व्यष्टियों का निकाय) घोषणा करता	हूं/करते हैं कि उपरोक्त तथ्य सभी
			आवेदक के हस्ताक्षर
		*(च्यि	ट/फर्म/कंपनी/क्यक्तियों के संगम)
			व्यष्टियों का निकाय
		न	ाम
		Ψ	di
स्थान :			
तारीख:			
•	<sup>*</sup> जो शब्द लागून हो उसे काट	ट दें ।''	
(	(घ) ठक्त नियमों के प्ररूप 3 रं	के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—	
		''प्ररूप 3 क''	
		[नियम 5( 2 ) दे <b>खि</b> ए ]	
		भारत सरकार	
		प्रधान डाकघर	
		रजिस्ट्रीकरण प्रमाणवत्र की दूसरी प्रति	
के लिए के उ	······· से 12 मास की अर्वा बल आपरेटर (व्यष्टि/फर्म/कं उसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या ··· १. यह प्रमाणपत्र केवल ऊपर थ ३. यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र	वर्णित परिसर के लिए विधिमान्य है । अहस्ताक्षरणी हैं ।	केबल टेलीविजन नेटवर्क चलाने हैं/हैं।
		। अवधि तक या धारक जब तक केबल सेवा चलाता है या जहां प्रमाणपत्र का स	क्षम प्राधिकारी द्वारा कर लिया जाता
है तब तक,	विधिमान्य होगा ।		
			प्रधान डाकपाल
			प्रधान डाकघर
		ामुख रूप से संप्रदर्शित किया जाएगा ।	(नगर∕शहर)
•	"जो समुचित हो उस पर निशा	न लगाएं । ''	
			[फा. सं. १/2/१५-पी.बी.सी.]
			बी. के. मजोत्रा, अपर संचिव
	<b>a</b>		^

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना सा.का.नि. 729(अ), तारीख 29 सितम्बर, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई है और तत्पश्चात् उसमें सा.का.नि. 453(अ) तारीख 29-5-95 और सा.का.नि. 820(अ), तारीख 28-12-95 द्वारा संशोधन किया गया ।

### MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING **NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th October, 1996

G.S.R. 459(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 22 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government makes the following rules further to amend the Cable Television Networks Rules, 1994, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Cable Television Networks (Amendment) Rules, 1996.
  - They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Cable Television Networks Rules, 1994 (hereinafter referred to as said rules), in rule 3, for sub-rule 2. (a) (3), the following sub-rules shall be substituted, namely:--

- "(3) (a) Every application for registration or renewal of registration shall be accompanied by
  - a fee of rupees five hundred only; and (i)
  - the requisite documents mentioned in Form 1 and Form 2. (ii)
  - (b) Every application for issue of duplicate certificate of registration shall be accompanied by—
  - a fee of rupees two hundred and fifty only, and
  - (ii) the requisite documents mentioned in Form 1.
- (4) The amount of fee shall be deposited in the Head Post Office where the application for registration or renewal of registration or issue of duplicate certificate of registration is being made.
- (5) The amount of the fees shall be deposited under the Head 'Un-Classified Receipts (U.C.R.)';"
  - Rule 5 of the said rules shall be re-numbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) as so re-numbered the following sub-rule shall be inserted, namely:-
  - "(2) On receipt of an application under clause (b) of sub-rule (3) of rule 3 for issue of duplicate certificate the Registering Authority shall examine the application having regard to the provisions of rule 3 and shall issue a duplicate Registration Certificate in Form 3 A;"
  - For form 1 to the said rules, the following Form shall be substituted namely:—

## "FORM 1" |See rule 3(1) | (To be submitted in duplicate)

Form of application for \*registration/renewal of registration/issue of duplicate certificate of registration as a cable opcrator.

To

The Head Postmaster
Head Post Office

a cable operator.

App	pplication for *registration/renev	val of registration/issue of duplicate	certificate of registration as
1.	. (a) Name of applicant (indiv	vidual/firm/company/association of	persons/body of individuals
		ent/Date of incorporation.	•
2.	. (a) Address (office)	-	
	(b) Telephone number (if ar	ıy)	
3.	. (a) Nationality (for individu	al applicants/body of individuals)	
	(b) By birth/domicile		
4.	. (a) Amount of fee paid for *	registration/renewal/issue of duplica	ate cetificate Rs
	(b) Name of Head Post Offic	æ	
	(Attach copy of challan vide w	which the fees have been deposited)	
5.	. Area in which cable telivision	network is working/proposed to be s	et up
6.	. Date from which the cable tele	evision network is operating/propose	ed to be set up
7,	. Number of channels being pro	vided/proposed to be provided (with	names)
8.	. (a) Whether using Television	on Receive Only (TVRO)	Yes/No
	(b) If yes, number and size of	of TVRO	
	(c) Location		
9.	. Names of Doordarshan satellit	e channels included in cable service	
10.	. Copy of earlier registration cer	rtificate enclosed	Yes/No
	(To be filled in only for renew	al of registration)	

State reasons for issue of duplicate certificate of registration ......

(Attach mutilated or defaced original certificate of registration/copy of report made to the police in case of theft or loss of the original certificate)

Period of validity of the original Registration Certificate for which the duplicate Registration Certificate is being sought .....

(To be filled in only for issue of duplicate Registration Certificate)

[भाग II-	−खण्ड 3(i)∫	]
----------	-------------	---

	12. Declaration in Form 2 enclosed  (To be filled in for *registration/renewal of registration only)	Yes/No
hereb	I/We the applicant(s) *(individual/firm/company/y declare that the above facts are correct in all respects.	association of persons/body of individuals) do
		Signature of Applican  *(individual/firm/company association of persons /body of individuals
Place Date:		Name
	*Score out the word or words which are not applicable"; (d) after Form 3 of the said rules, the following form shall be inserted,	Address
	"Form 3A" [See Rule 5(2)] Government of India Head Post Office DUPLICATE REGISTRATION CERTI	IFICATE
	Shri/Shrimati/M/s resident of	ble television network at the following addres th effect from (date from which the
the su	arrender of the certificate is accepted by the competent authority.	
		Head Post Maste Head Post Offic (town/city
Place Date		
		[File No. 9/2/95-PBC V. K. MAJOTRA, Addl. Secy
Foot	Note: Principal notification has published vide G.S.R. 729(E) dated 29th vide G.S.R. 453(E) dated 29-5-95 and G.S.R. 820(E) dated 28-12-	